

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-25.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम महलई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0- 208/2013 वाद संख्या 40/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय एडीजे / एफटीसी-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 25.09.2026 को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनिल बाजपेयी



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



को0 मो0 - हे0का0 देवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का0 गुलाम गैस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-25.09.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम महलई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0- 156/2013 वाद संख्या 226/2013 धारा 307 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे / एफटीसी-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 25.09.2026 को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अनिल बाजपेयी



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



को0 मो0 - हे0का0 देवेन्द्र सिंह



पैरोकार - का0 गुलाम गौस